I/50234/2023

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला/
Sub-Office, Shimla of Regional Office, Chandigarh
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लौंगवुड
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001
Shimla, Himachal Pradesh – 171001

ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in
दूरभाष/Tel.0177-2658285,
फैक्स/Fax: 0177-2657517

पत्र संख्या. एफ.सी./एच.पी.सी./27/2023 दिनांक: .08.2023

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार
आर्म्सडेल बिल्डिंग, शिमला।
(Email:-forestsecy-hp@nic.in)

विषय:-Diversion of 7.3391 ha of forest land in favour of Luni Power Company private limited for the construction of 33 kv S/C Transmission line from Luni-I SHEP to 33 KV HPSEBL Baijhnath Sub-Station within the jurisdiction of Palampur Forest Division in Distt. Kangra, HP.

Ref: (i)ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या**FP/HP/TRANS/40307/2019**, दिनांक 03.02.2020.
(ii) Minutes of Meeting of 59thRec of RO Chandigarh dated 25.07.2023.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भाकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **7.3391** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैद्धांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए|

ii. राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।

iii. WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 7.3391 हेक्टेयर की नैट प्रजैंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

iv. प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।

v. पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/)में अपलोड की जाएगी।

vi. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, आदि) वेब पोर्टल परऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते है | अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा I

vii. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी किसं भागमें कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए Stage-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "**इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव**

लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।

I/50234/2023

viii. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा |

ix. वन मंडल अधिकारी यह लिखित आश्वाशन (undertaking)देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी केअनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदलेंगे |

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कडाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुचांया जाएगा| यदि muck dumping site प्रस्ताव मे सम्मिलित है, तो वहा का कोई भी वृक्ष पातन नहीं किया जाएगा।

iii. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार **15** हेक्टेयर **वन भूमि, Survey No. 52D/12, Bir Forest Range, Palampur Forest Division, Distt. Kangra** पर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा।अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा | यथासंभव , स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा|

iv. प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज, अन्यथा, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अधिसूचित करा कर, ततसंबंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

v. वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदलेंगे|

vi. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी|

vii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

viii. माननीयउच्चतमन्यायालयके निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगीऔरराज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

ix. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी , विभागयाव्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

x. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xi. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा|

xii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी |

xiii. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा |

xiv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके |

xv. प्रस्तावित संचरण लाइन के लिए "रास्ते के अधिकार" की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि पर 15 मीटर होगी |

xvi. कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम 2.8 मीटर होना चाहिए | कन्डक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा | बिजली की निकासी बनाये रखने के लिये जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा |

xvii. प्रयोक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउंड क्लीयरेंस के अलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी |

xviii. प्रयोक्ता एजेंसी अपनी लगत परपक्षियों को तारो से टकराने से बचाने के लिए उपयुक्त अंतराल परट्रांसमिशन लाइन के उपरी कन्डक्टर पर पक्षी डिफ्लेक्टर(Bird deflectors) लगाएगी |

xix. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य वन विभाग से विचार-विमर्श करके संचरण लाइन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधिय पौधों के रोपण, सृजन व रख-रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निष्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धन राशि उपलब्ध करायेगी |

xx. मकनिस्तारणजारीयोजनाकेअनुसारकियाजायेगा |

xxi. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति
I/50234/2023 और प्राणी समहू के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी |

xxii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी |

xxiii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी |

xxiv. मक निस्तारण जारी योजना केअनुसार किया जायेगा |

xxv. इस प्रस्ताव को 99 वर्षो के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इस के उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी |इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना कीअवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी|

xxvi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण , सुरक्षातथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xxvii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालयआदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

xxviii. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी

3. उपरोक्तपैरा-2 के अधीन शर्तो की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत, वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा । **केंद्रीय सरकार की अंतिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा ।**

भवदीय,

Sd/-
(डॉ गोबिंद सागर भारद्वाज)
उप-वनमहानिदेशक (के.)

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक(आर.औ.एच.क्यू), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली।(ramesh.pandey@nic.in)।
2. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू.), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली। (E-mail: rohq-mefcc@gov.in).
3. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला (E-mail: nodalfcahp@yahoo.com).
4. लूनी पावर कंपनी प्रा. लिमिटेड, चिम्बलहार होम स्टे के पास, ग्राम-चिम्बलहार, पी.ओ.-गीता पीठ, पालमपुर-जिला-कांगड़ा-हि.प्र. (E-mail: harshsapolia@gmail.com)

Signed by Gobind Sagar Bhardwaj
Date: 07-08-2023 12:31:49
Reason: Approved